कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 526 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 11.08.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :– **मंच से बकोडा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12159 / 2015)।**

संदर्भ :– आपका ऑन–लाइन दिनांक 11.08.2015।

महोदय,

आप द्वारा विषयगत प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित किया गया है। परन्तु इस कार्यालय स्पष्ट निर्देशो के पश्चात भी इस प्रस्ताव से सम्बन्धित हॉड कॉपी इस कार्यालय को भी उपलब्ध नही करायी गयी है। इस कारण प्रपत्र 2 ऑन लाइन में सूचित सूचनाओं का मिलान हॉड कॉपी से सूचनाओं से किया जाना सम्भव नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को अग्रसारित करना भी सम्भव नही हो पा रहा है।

2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची प्रस्ताव में संलग्न नही है। इस सम्बन्ध में V.C में भी चर्चा के दौरान यह प्रकरण आया कि मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में अंकित की जाय। अतः वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न की जाय। भविष्य में ऑन–लॉइन किये जाने वाले सभी प्रस्तावों में वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची भी संलग्न की जाय।

3. प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले 0–10 श्रेणी व्यास वर्ग के वृक्षों की सूची भी सैंम्पलिंग के रूप में प्रस्तुत की जाय।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

11/8

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

D:\Land Transfar on line\format\CF To dfo Land Transfer letter.doc